SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2021-22

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार



लेखे एक दृष्टि में

2021-22

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के चौबीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है जो सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु वार्षिक वित्तीय तथा विनियोग लेखाओं को तैयार किया गया है।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शिमला
दिनांकः 26 दिसम्बर 2022

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005..	10
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	13
2.2	राजस्व प्राप्तियां	13
2.3	कर राजस्व	15
2.4	कर वसूली में दक्षता	18
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रूझान	18
2.6	सहायता-अनुदान	19
2.7	वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)	20
2.8	लोक ऋण	20
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	22
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	विनियोग लेखों का सारांश	27
4.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28
4.4	बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन	29

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
6.1	परिसम्पतियां	31
6.2	ऋण तथा देनदारियाँ	37
6.3	प्रतिभूतियाँ	38
अध्याय VI	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	34
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	34
6.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	36
6.5	लेखों का मिलान	37
6.6	उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	37
6.7	लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	38
6.8	राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली	39
6.9	व्यक्तिगत जमा खाते	39
6.10	रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)	40
6.11	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	40
6.12	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	40
6.13	राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर	40
6.14	आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज लेनदेन और डी.डी.ओ. के बैंक खातों में निधियों का अन्तरण	41
6.15	एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि	41

अध्याय I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश विभिन्न एजेसियों द्वारा प्रेषति किए गए खातों के आंकड़ों का मिलान, वर्गीकरण, संकलन करता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करता है। यह संकलन 18 जिला खजानों, 90 लोक निर्माण मण्डलों, (71 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 65 जल शक्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों पर आधारित होता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवत्ता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रुप से वित्त लेखे और विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5.00 करोड़ है।

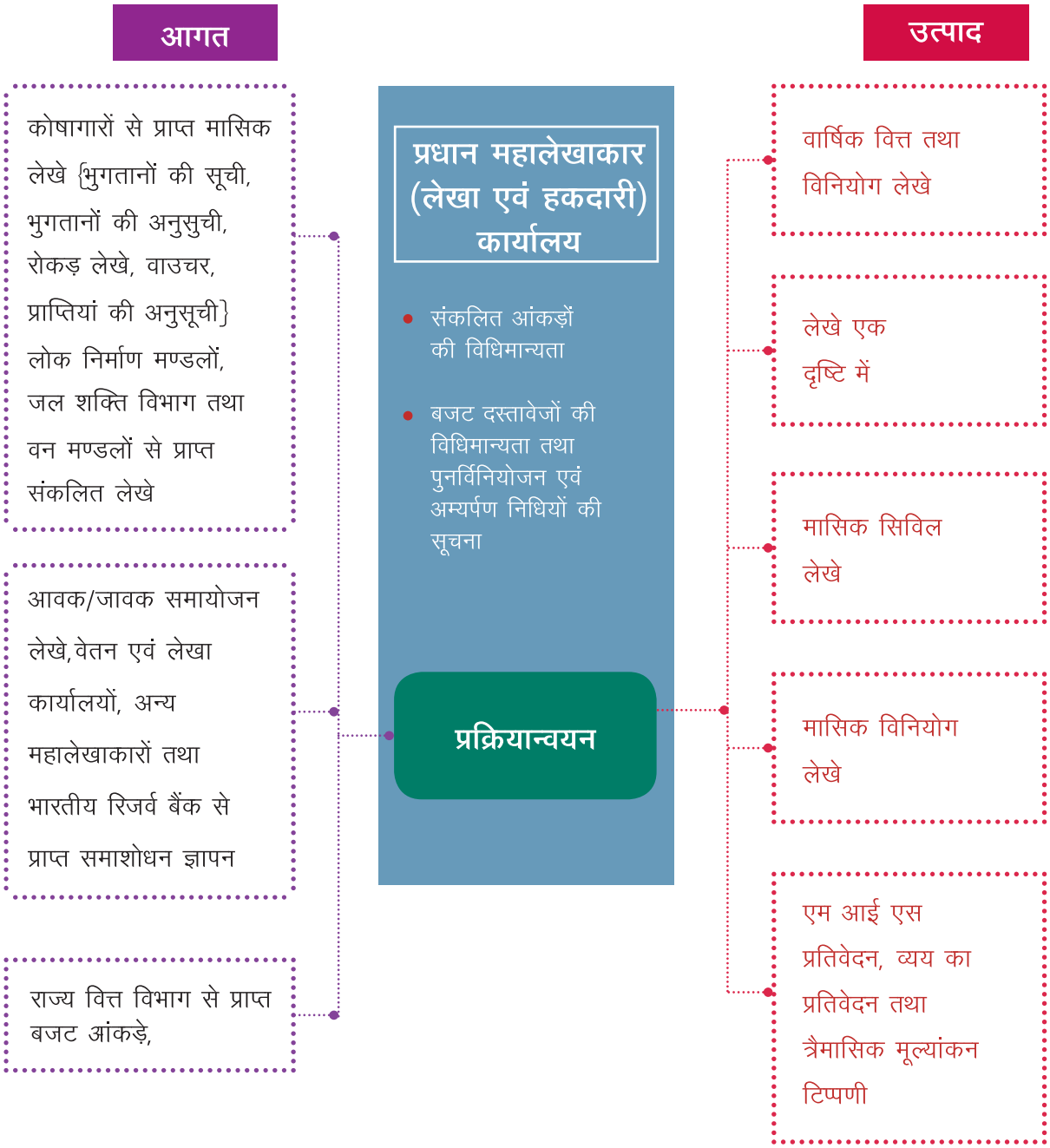
भाग 3
लोक लेखा

समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है:

लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखा संस्थाओं के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का

प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) समावेश किया जाता हैं।

वित्त लेखों में आंकड़े शुद्ध आधार पर दिखाए जाते है यानी सकल व्यय माइनस रिकवरी और सकल प्राप्तियां माइनस रिफंड, जबकि विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए जाते है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹ 2,535 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त लेखे के खण्ड-I में परिशिष्ट-IV में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2021-22 में वित्तीय आर्कषण

निम्न तालिका बजट अनुमानों के अनुसार बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों को वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के साथ दर्शाती है। प्रमुख राजकोषीय और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है।

तालिका 1.1 हिमाचल प्रदेश के वित्त का स्नैपशॉट (वर्ष 2021-22)

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	बजट प्राक्कलन 2021-22	वास्तविक आंकड़े 2021-22	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता (#)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	15,933	17,064	107	10
2.	गैर कर-राजस्व	2,624	2,612	100	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	18,755	17,633	94	10
4.	*राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)*	**37,312**	**37,309**	**100**	**21**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली**	44	41	93	--
6.	अन्य प्राप्तियां**	0.00	7	--	--
7.	उधार तथा अन्य दायित्व (ख)	7,090	5,245	74	3
8.	*पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)*	**7,134**	**5,293**	**74**	**3**
9.	*कुल प्राप्तियां (4+8)*	**44,446**	**42,602**	**96**	**24**
10.	*राजस्व व्यय*	**37,034**	**36,195**	**98**	**21**
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	4,805	4,641	97	3
12.	*पूंजीगत व्यय*	**7,099**	**6,029**	**85**	**3**
13.	*ऋणों तथा अग्रिम (ग) ** *	**314**	**378**	**120**	**--**
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	**44,447**	**42,602**	**96**	**24**
15.	*राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (4-10)*	**(+)278**	**(+)1,115**	**401**	**1**
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	**(-)7,091**	**(-)5,245**	**74**	**3**
17	*प्रारम्भिक घाटा ** *	**(-)4,269**	**(-)604**	**14**	**--**

(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 7,349 करोड़ सम्मिलित है राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 9,715 करोड़ थी जो कि जी.एस.डी.पी. का 6 *प्रतिशत* है।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

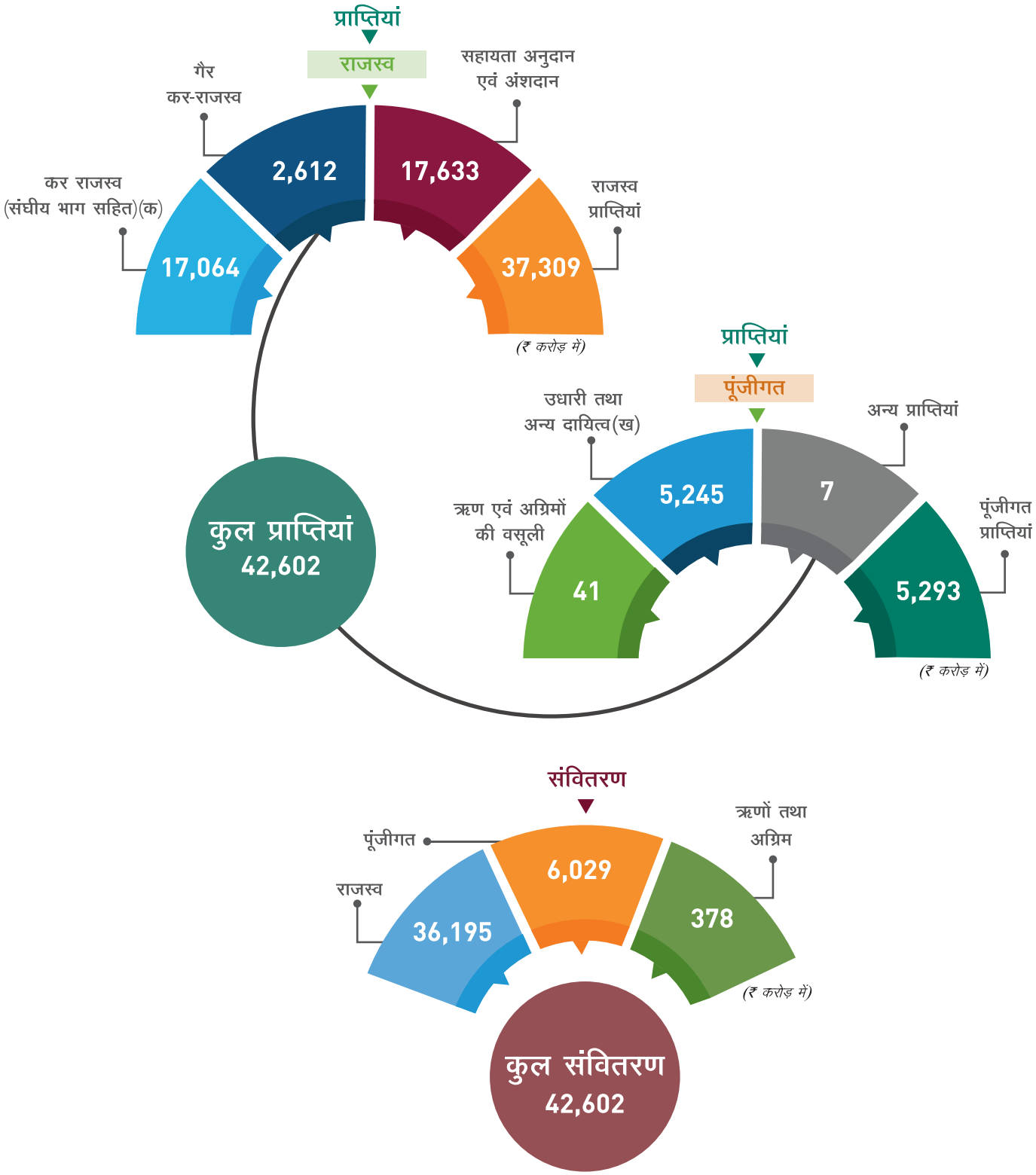
(ग) ऋण तथा अग्रिम (₹ 378 करोड़) उ राज्य योजना (₹ 374 करोड़) + केन्द्रीय योजना (₹ 4 करोड़)

\# हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2021-22 के लिए ₹ 1,75,173 करोड़ है।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 4.48 करोड़ की राशि शामिल है।

** प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है।

वर्ष 2021-22 की प्राप्तियां व संवितरण



(क) इसमें राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश ₹ 7,349 करोड़ सम्मिलित है (राज्य सरकार की निजी कर प्राप्तियाँ ₹ 9,715 करोड़ थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 6 *प्रतिशत* है)।

(ख) उधार तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिकता निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अनुच्छेद 204 व 205 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। 2021-22 के हिमाचल प्रदेश के बजट में 32 अनुदान थे और इन अनुदानों के तहत 14 प्रभारित विनियोजन थे। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग का वास्तविक व्यय किस सीमा तक अनुपालना करता है। विनियोग लेखों में आंकड़े सकल आधार पर दिखाए गए है।

1.3.4 बजट तैयारी में दक्षता

वर्ष के अन्त में, हिमाचल प्रदेश सरकार का वास्तविक व्यय विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 50,129 करोड़ के सम्मुख ₹ 55,715 करोड़ था। ₹ 7,367 करोड़ की कुल बचत और ₹ 1,782 करोड़ का व्यय आधिक्य था अतएव ₹ 5,585 करोड़ की निवल बचत हुई। तेरह सम्बन्धित अनुदानों में ₹ 1,782 करोड़ का आधिक्य हुआ।

(i) भू-राजस्व और जिला प्रशासन (ii) आबकारी एवं कराधान (iii) पुलिस और सम्बन्ध संगठन (iv) शिक्षा (v) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (vi) उद्यान (vii) निर्वाचन (viii) उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ix) ग्रामीण विकास (x) विद्युत विकास (xi) सड़क एवं जल परिवहन (xii) श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण और (xiii) विभिन्न सामान्य सेवाऐ, जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता है। जबकि प्रभारित विनियोगों में आधिक्य (₹ 71 करोड़) दो अनुदानों में हुआः (i) पुलिस और सम्बन्ध संगठन, और (ii) शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास। अधिक व्यय को विधायिका द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान बारह अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 623 करोड़ का व्यय बिना बजट प्रावधानों के किया गया अर्थात अनुदान संख्या 5 (भू-राजस्व और जिला प्रशासन), 8 (शिक्षा), 10 (लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन), 11 (कृषि), 13 (सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई), 14 (पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य), 20 (ग्रामीण विकास), 22 (खाद्य और नागरिक आपूर्ति), 28 (शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास), 30 (विभिन्न सामान्य सेवाऐ), 31 (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) और 32 (अनुसूचित जाति उपयोजना) । बिना बजट प्रावधान के व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने (136) नये उप-शीर्ष राजस्व प्रवर्ग में (110) तथा पूंजीगत प्रवर्ग में (26) प्रधान महालेखाकार की पूर्व सलाह के बिना खोल दिये जैसा की भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है।

₹ 79 करोड़ की राशि को वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों को व्यय के प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) की पुस्तकों में ''उचंत'' के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार उक्त राशि को वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विनियोग लेखों में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया है।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 1,043 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किया गया तथा उसी ₹ 1,043 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेष में ₹ 0.55 करोड़ से कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के पश्चात् ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान न तो ओवर ड्राफ्ट लिया गया और न ही चुकाया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2022 को राज्य की राजस्व वृद्धि ₹ 1,115 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 5,245 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹ 4,948 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 192 करोड़) और आदि शेष तथा अन्त शेष में निवल घाटा

(₹ 105 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 37,309 करोड़) का लगभग 65 प्रतिशत वेतनों (₹ 11,990 करोड़), ब्याज-अदायगियों (₹ 4,641 करोड़), पैंशन (₹ 6,399 करोड़), उपदान (₹ 1,188 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 202 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

01 अप्रैल 2021 को आरम्भिक रोकड़ शेष	60
राजस्व प्राप्तियां	37,309
पूंजीगत प्राप्तियां	7
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	41
लोक ऋण	9,335(क)
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,562
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	417
प्राप्त जमा	3,566
चुकता किए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	54,945*
सम्प्रेषण	6,574
योग	1,15,816*

अनुप्रयोग

राजस्व व्यय	36,195
पूंजीगत व्यय	6,029
दिए गए ऋण	378
लोक ऋणों की अदायगी	4,387
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,079
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	1,160
जमा अदायगी	3,601
दिए गए सिविल अग्रिम	...
उचन्त लेखे	54,570**
सम्प्रेषण	6,462
31 मार्च 2022 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)45
योग	1,15,816

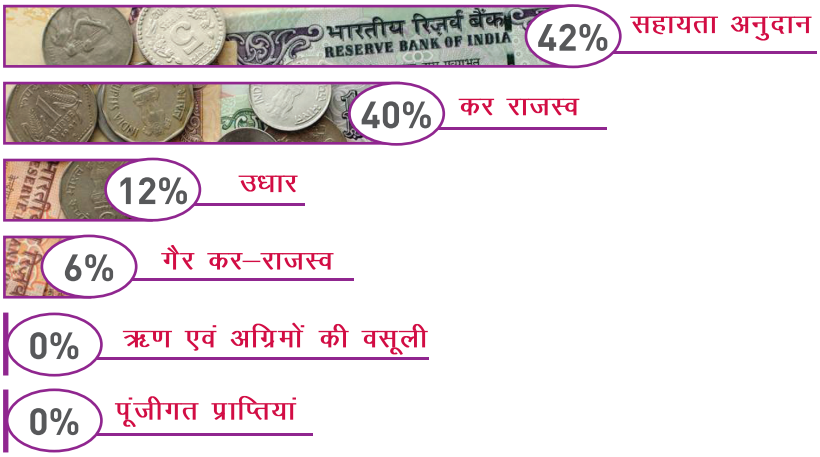
* ₹ 53,881 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

** ₹ 54,753 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

(क) इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

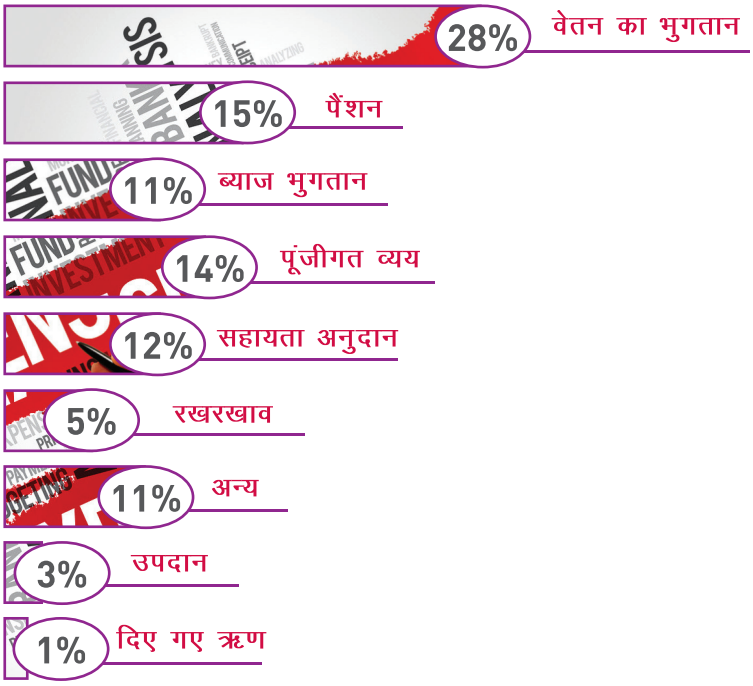
वास्तविक प्राप्तियां



(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 41 करोड़ थी और पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 7 करोड़ थी जो कि नगण्य है अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय



वर्ष 2021-22 में ₹ 1,115 करोड़ की राजस्व वृद्धि (वर्ष 2020-21 में ₹ 97 करोड़ का राजस्व आधिक्य) तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 5,245 करोड़ का राजकोषीय-घाटा (वर्ष 2020-21 में ₹ 5,700 करोड़ का राजकोषीय-घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1 *प्रतिशत* तथा 3 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 12 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधि में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2021-22 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धियां निम्नलिखित थीः-

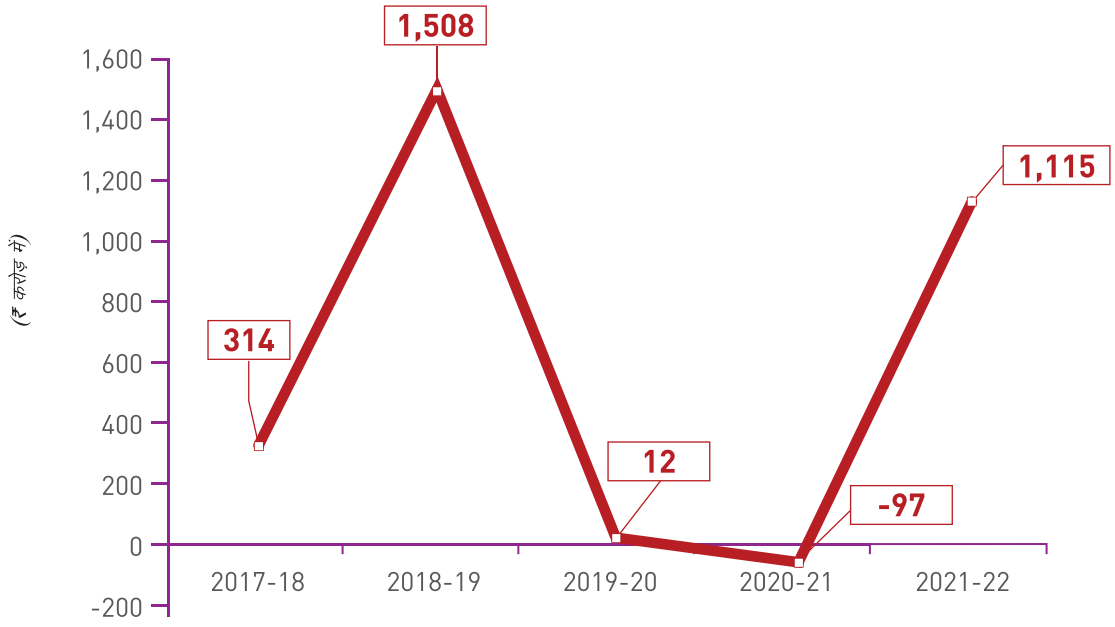
क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा (-)/ राजस्व वृद्वि (+)	(+) 1,115 1 (*प्रतिशत* सकल राज्य घरेलु उत्पाद)	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	5,245 3 (*प्रतिशत* सकल राज्य घरेलु उत्पाद)	3.00 *प्रतिशत* या कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया
3	परादेय प्रतिभुतियां	1,885 (पिछले वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति का 6 *प्रतिशत*)	गत वित्तिय वर्ष की राजस्व प्राप्ति के 40 *प्रतिशत* से कम	वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया

* हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी.(सकल राज्य घरेलु उत्पाद) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2021-22 के लिए ₹ 1,75,173 करोड़ है।

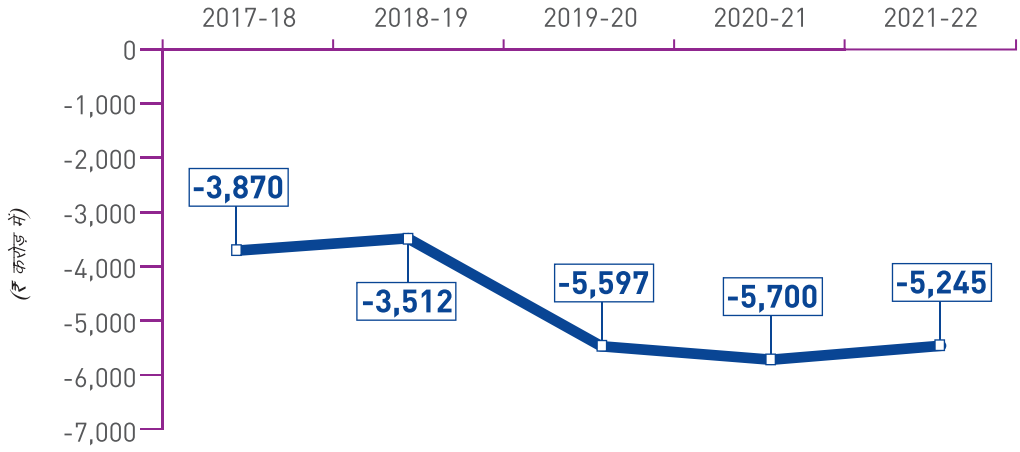
राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणों को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2020-21 में राज्य की राजस्व कमी ₹ 97 करोड़ थी और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,115 करोड़ की राजस्व वृद्धि थी जोकि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप थी। राजकोषीय घाटा 2020-21 में ₹ 5,700 करोड़ से ₹ 455 करोड़ घटकर चालू वर्ष में ₹ 5245 करोड़ हो गया और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित 3 *प्रतिशत* के लक्ष्य के अंर्तगत था। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, परादेय प्रतिभूतियों की राशि को पिछले वित्तिय वर्ष के कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 को परादेय प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1,885 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष 2020-21 की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 33,438 करोड़) के 6 *प्रतिशत* के बराबर थी।

1.5.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान



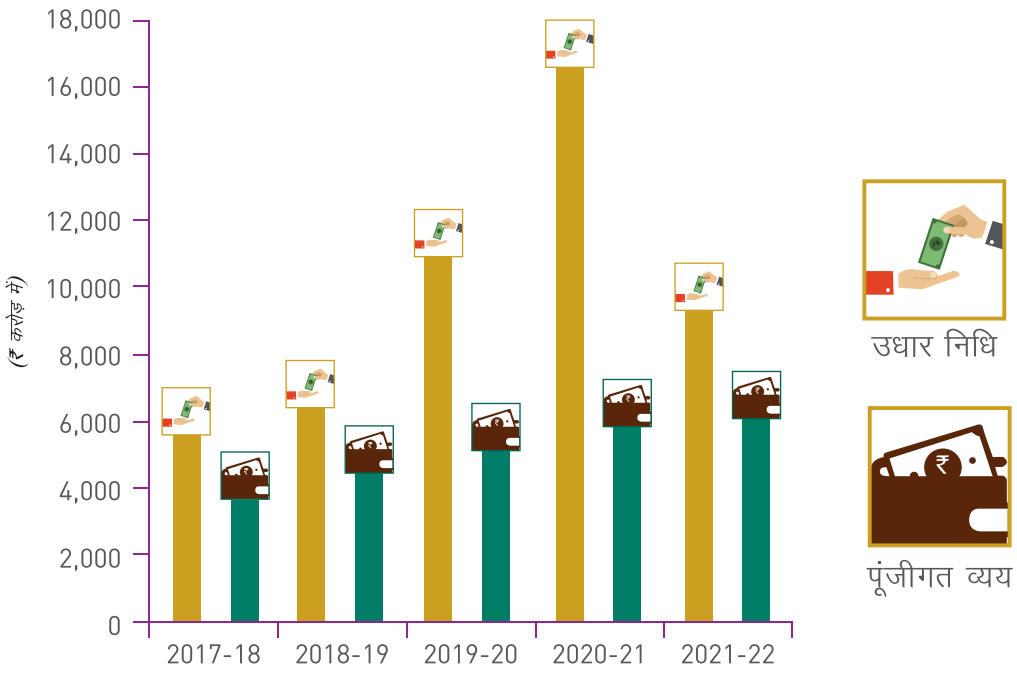
1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान



1.5.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2017-18	5,600	3,756
2018-19	6,427	4,583
2019-20	10,847	5,174
2020-21	16,749	5,309
2021-22	9,335*	6,029



* इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ांचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है, अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार, पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर (₹ 6,029 करोड़) का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹ 9,335 करोड़) का केवल 65 प्रतिशत था। इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उद्यार का पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है । वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां ₹ 42,602 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।

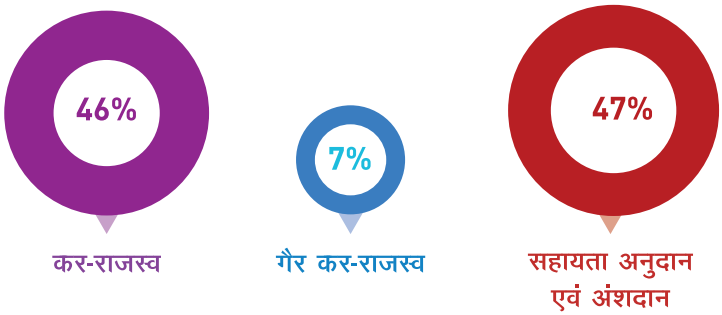
गैर कर-राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।

सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध "वैदेशिक सहायता अनुदान" भी शामिल है। बदले में , राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

राजस्व-प्राप्तियां



2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क. कर-राजस्व *	17,064	46
माल व सेवाओं पर कर	6,588	18
आय व व्यय पर कर	4,372	12
सम्पत्ति पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	324	1
माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5,780	15
ख. गैर कर-राजस्व	2,612	7
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	340	1
सामान्य सेवाएं	278	1
सामाजिक सेवाएं	392	1
आर्थिक सेवाएं	1,602	4
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	17,633	47
कुल राजस्व प्राप्तियां	37,309	100

* इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश सम्मिलित है।

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

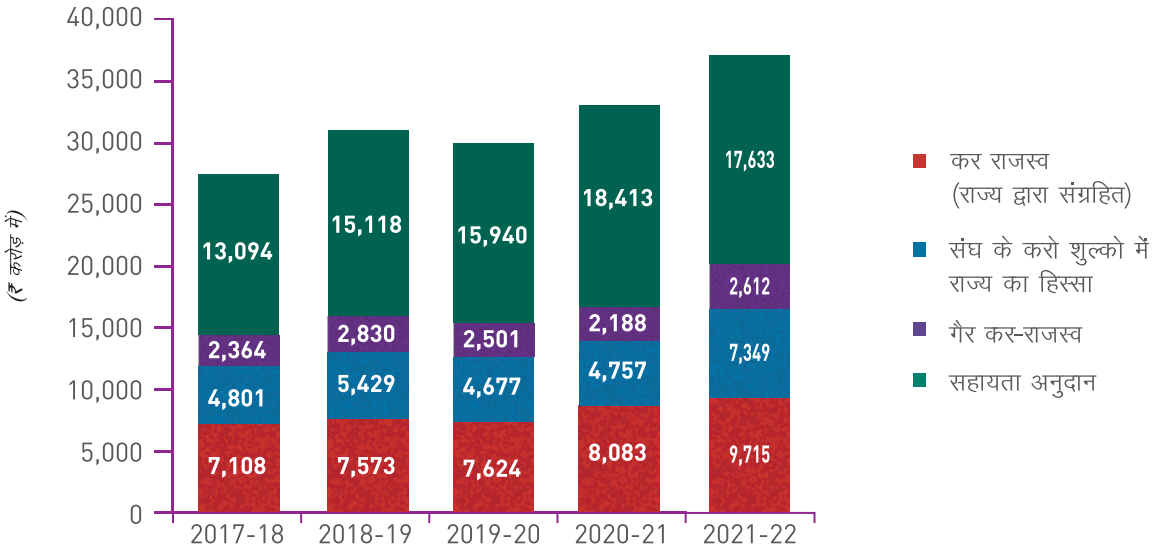
(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	7,108 (5)	7,573 (5)	7,624 (5)	8,083 (5)	9,715 (6)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,801 (3)	5,429 (4)	4,677 (3)	4,754 (3)	7,349 (4)
गैर कर-राजस्व	2,364 (2)	2,830 (2)	2,501 (2)	2,188 (1)	2,612 (1)
सहायता अनुदान	13,094 (10)	15,118 (10)	15,940 (10)	18,413 (12)	17,633 (10)
कुल राजस्व प्राप्तियां	**27,367 (20)**	**30,950 (20)**	**30,742 (19)**	**33,438 (21)**	**37,309 (21)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,35,914**	**1,51,835**	**1,65,472**	**1,56,522**	**1,75,173**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्तमान दरों पर 2021-22 के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के आंकड़े।

हालांकि वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 12 *प्रतिशत* ही थी। पिछले वर्ष के मुकाबले कर राजस्व 33 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 19 *प्रतिशत* तक की वृद्धि देखी गयी तथा सहायता अनुदान में 4 *प्रतिशत* की कमी देखी गयी।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान



2.3 कर राजस्व

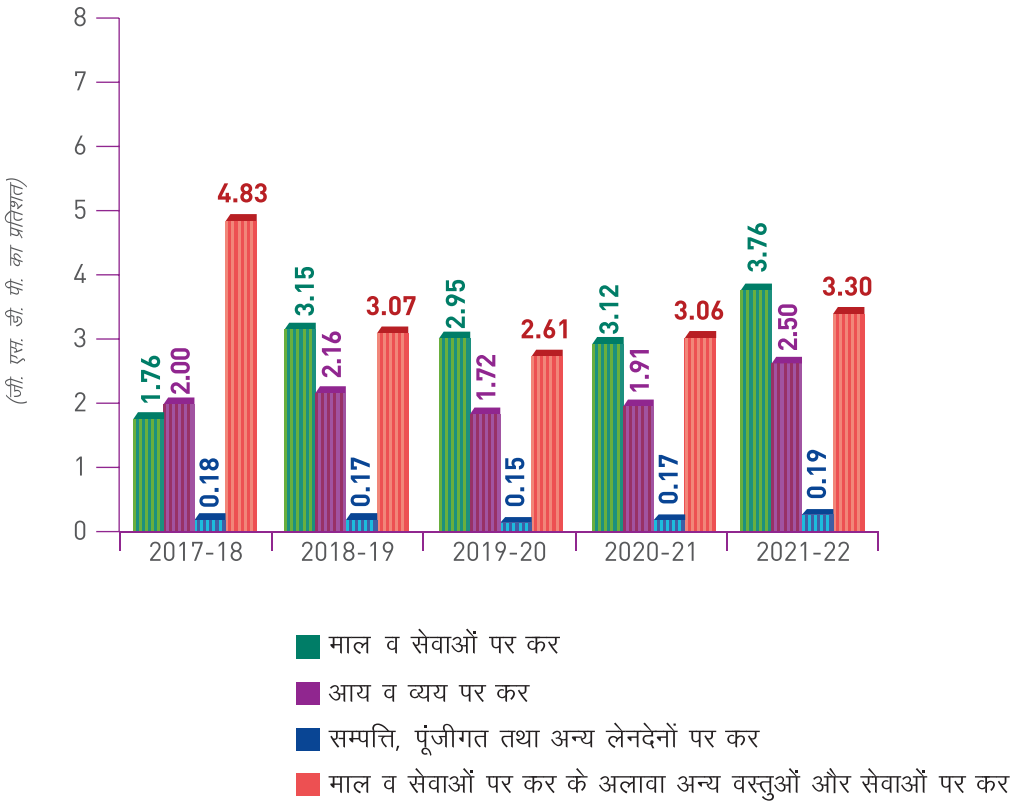
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां				
कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क. माल व सेवाओं पर कर	4,790 (3)	4,878 (3)	4,886 (3)	6,588 (4)
ख. आय व व्यय पर कर	3,289 (2)	2,844 (2)	2,894 (2)	4,372 (3)
ग. सम्पत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेनदेनों पर कर	259	264	260	324 (0.18)
घ. माल व सेवाओं पर कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,664 (3)	4,315 (3)	4,797 (3)	5,780 (3.30)
कुल कर राजस्व	**13,002 (9)**	**12,301 (7)**	**12,837 (8)**	**17,064 (10)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,51,835**	**1,65,472**	**1,56,522**	**1,75,173**

टप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

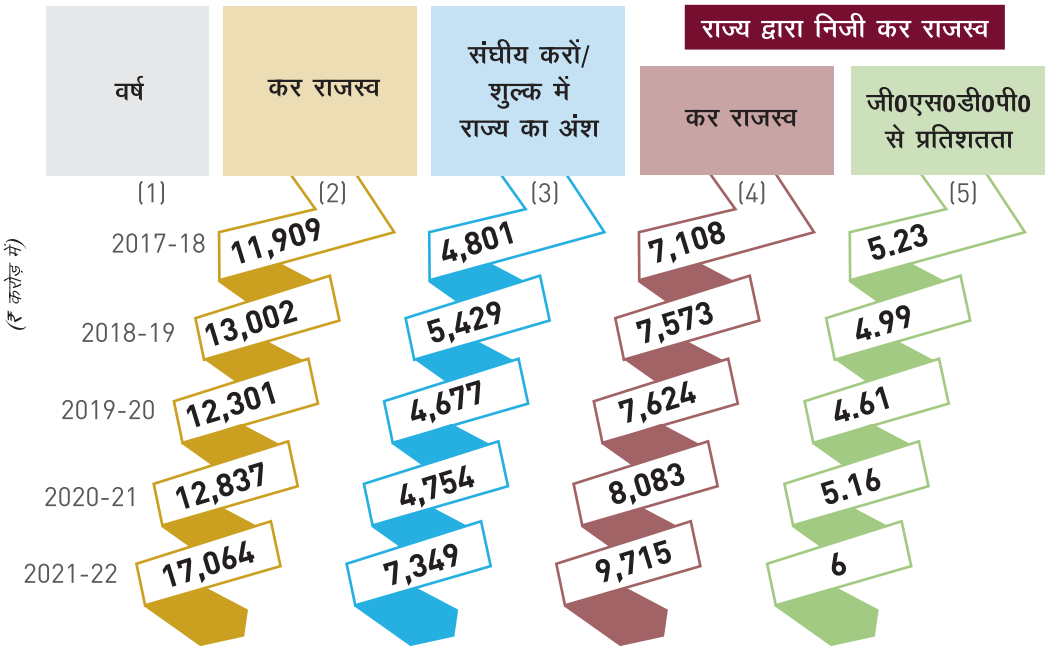
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व कर में वृद्धि केंद्र सरकार से कर विचलन में वृद्धि में मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी., आई. जी.एस.टी (₹ 491 करोड़) राज्य हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति, निगम कर (₹ 773 करोड़), निगम कर के अलावा अन्य आय (₹ 705 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 381 करोड़) और सीमा शुल्क (₹ 254 करोड़) है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान



2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों में राज्य का अंश।



निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के दो स्त्रोतों की आय को तुलनात्मक दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य का निजी कर संग्रहण	7,108	7,573	7,624	8,083	9,715
वर्ष दर वर्ष निजी कर में वृद्धि	1	6	1	6	20
संघीय करों में राज्य का अंश	4,801	5,429	4,677	4,754	7,349
'संघ कर के हस्तांतरण' की वर्ष दर वर्ष वृद्धि	10	12	-16	2	55
कुल कर राजस्व	**11,909**	**13,002**	**12,301**	**12,837**	**17,064**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का *प्रतिशत*	60	58	62	63	57

कुल कर राजस्व में राज्य के अपने कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2017-18 के दौरान 60 *प्रतिशत* था जो 2018-19 में घटकर 58 *प्रतिशत* हो गया उसके बाद में बढकर 62 *प्रतिशत* तथा 63 *प्रतिशत* 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः हुआ, हालांकि 2021-22 के दौरान अनुपात घटकर 57 *प्रतिशत* हो गया।

2.3.2 पिछले पाँच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर	1,833	3,343	3,550	3,467	4,482
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,526	1,185	1,169	1,630	1,592
राज्य आबकारी शुल्क	1,311	1,482	1,660	1,600	1,981
वाहनों पर कर	367	408	466	380	510
स्टांप और पंजीकरण शुल्क	229	251	260	253	319
विद्युत पर कर एवं शुल्क	361	487	101	402	394
भूमि राजस्व	17	8	5	7	5
माल एवं यात्रियों पर कर	112	104	104	84	99
अन्य कर	352	305	309	260	333
कुल: राज्य का निजी कर	**7,108**	**7,573**	**7,624**	**8,083**	**9,715**

2.4 कर वसूली में लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	2,526	1,185	1,169	1,630	1,592
संग्रहण पर व्यय	7	2	35	20	29
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.28	0.17	2.99	1.23	1.82
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	1,311	1,482	1,660	1,600	1,981
संग्रहण पर व्यय	6	6	7	8	8.27
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	0.46	0.40	0.42	0.50	0.42
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	479	512	570	464	609
संग्रहण पर व्यय	48	53	48	48	62.79
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	10.00	10.35	8.42	10.34	10.31
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	229	251	260	253	318
संग्रहण पर व्यय	8	9	20	13	5
कर वसूली में लागत प्रतिशतता	3.49	3.59	7.69	5.14	1.54

अन्य करों के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर एवं स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण पर व्यय अधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (सी जी एस टी)	68	1340 (94)	1327	1420	2,105
एकीकृत वस्तुओं एंव सेवाओं पर कर (आई जी एस टी)	485	107	शून्य	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क	485	385	296	257	511
संघीय आबकारी शुल्क	506	256	206	161	266
सेवा कर	544	49	शून्य	19	88
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	शून्य	3	3	3	7
निगम कर	1,471	1,888	1,595	1,429	2,202
आय तथा व्यय पर अन्य कर **	शून्य	10	शून्य	शून्य	--
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,242	1,391	1,250	1,465	2,170
सम्पत्ति कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	--
संघीय करों/शुल्क में राज्य का अंश	**4,801**	**5,429**	**4,677**	**4,754**	**7,349**
कुल कर राजस्व	**11,909**	**13,002**	**12,301**	**12,837**	**17,064**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	40	42	38	37	43

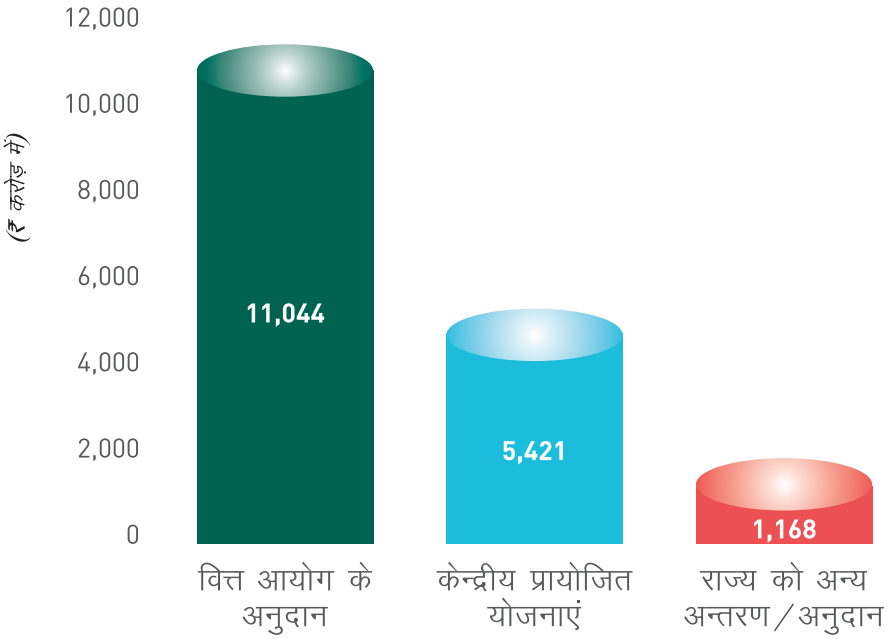
** *प्रतिशतता नगण्य थी अतः -- दर्शाया गया है।*

राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में संघ करों का हिस्सा 2018-19 में 42 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 37 *प्रतिशत* हो गया था, लेकिन 2021-22 के दौरान बढ़कर 43 *प्रतिशत* हो गया।

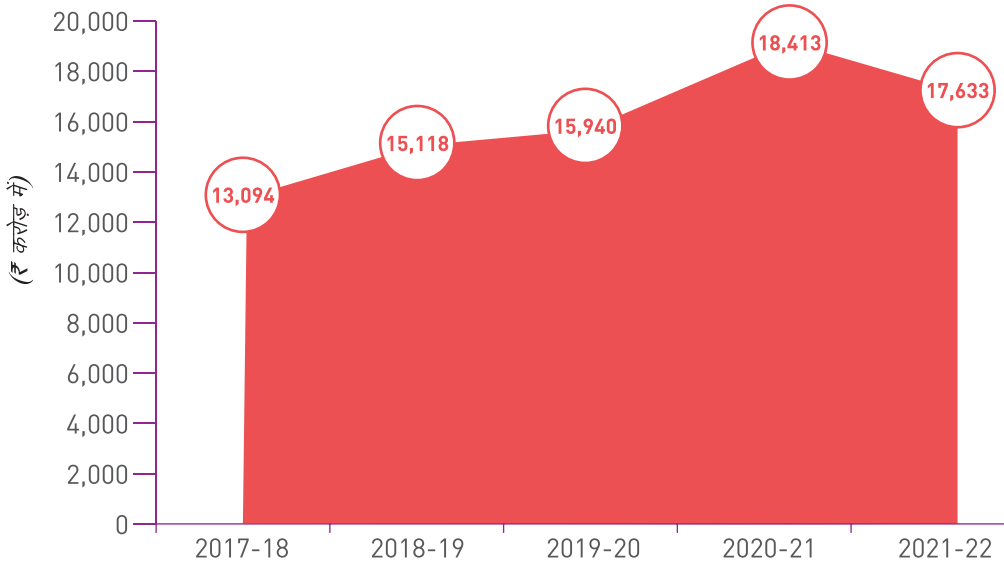
2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों, वित- आयोग अनुदान तथा राज्य/विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेश हेतु अन्य अन्तरण/अनुदान है। वर्ष 2021-22 के दौरान इन स्त्रोतों से प्राप्त सहायता-अनुदान निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान



सहायता अनुदान का रूझान



2021-22 के दौरान सहायता अनुदान में कमी मुख्य रूप से जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व घाटे के मुआवजे में ₹ 596 करोड़ और पश्च हस्तान्तरण राजस्व घाटा अनुदान ₹ 1,182 करोड़ में कमी के कारण थी।

2.7 वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.)

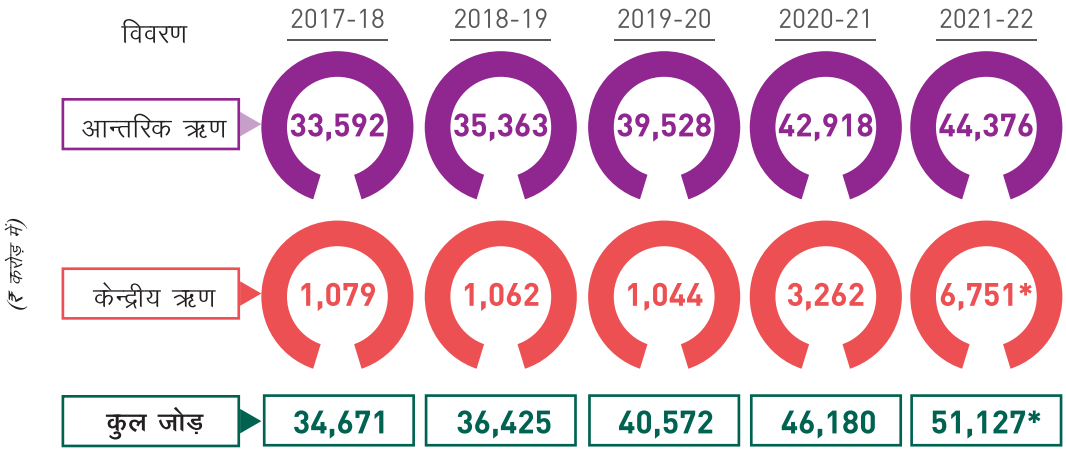
वस्तुओं एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देगी।

2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व के रूप में ₹ 4,482 करोड़ (आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण ₹ 308 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में ₹ 2,105 करोड़ प्राप्त हुए। माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 6,588 करोड थी। वर्ष 2021-22 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के कारण राज्य ने ₹ 1,168 करोड़ मुआवजा प्राप्त किया।

इसके अलावा, राज्य को जी.एस.टी. मुआवजे के बदले केंद्र सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में 2021-22 (31 मार्च 2022 तक कुल 4,412 करोड़ का कुल बैक-टू-बैक ऋण) के दौरान 2,695 करोड़ का ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसे राज्य के किसी भी मानदंड के लिए जो वित्त आयोग द्वारा व्यय विभाग, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.7 लोक ऋण

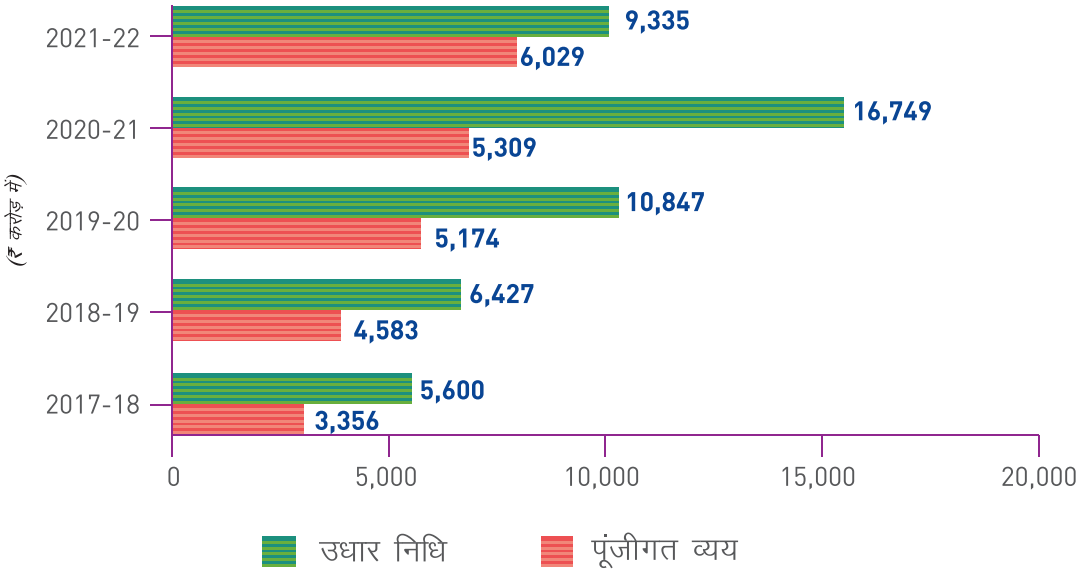
पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान :-



* इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी0एस0टी0 मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

वर्ष 2021-22 में ₹ 4,000 करोड़ के 8 ऋण 6.86 *प्रतिशत* से 7.14 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2031-2033 के बीच में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 704 करोड़ ऋण लिए। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 1,043 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लिया गया। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा लिया गया कुल आन्तरिक ऋण ₹ 5,747 करोड़ था। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 3,588 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया, इस ऋण में ₹ 2,695 करोड़ शामिल है, जिसे जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना



अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

2021-22 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 42,602 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹ 3,438 करोड़ (8 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 36,195 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,660 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय जो 2021-22 के दौरान ₹ 6,029 करोड़ था उसमें ₹ 720 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि देखी गई।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँच वर्षों में विनियोग लेखे में रइन्द्ध गए बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बजट प्राक्कलन	28,756	33,568	36,337	36,011	37,034
वास्तविक आंकड़े	27,053	29,442	30,730	33,535	36,195
अन्तर	(-) 1,703	(-) 4,126	(-) 5,607	(-) 2,476	(-) 839
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिातता	(-) 6	(-) 12	(-) 15	(-) 7	(-) 2

2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का लगभग 65 *प्रतिशत* व्यय वेतन (₹ 11,990 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,641 करोड़), पैंशन (₹ 6,399 करोड़), उपदान (₹ 1,188 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 202 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी है।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

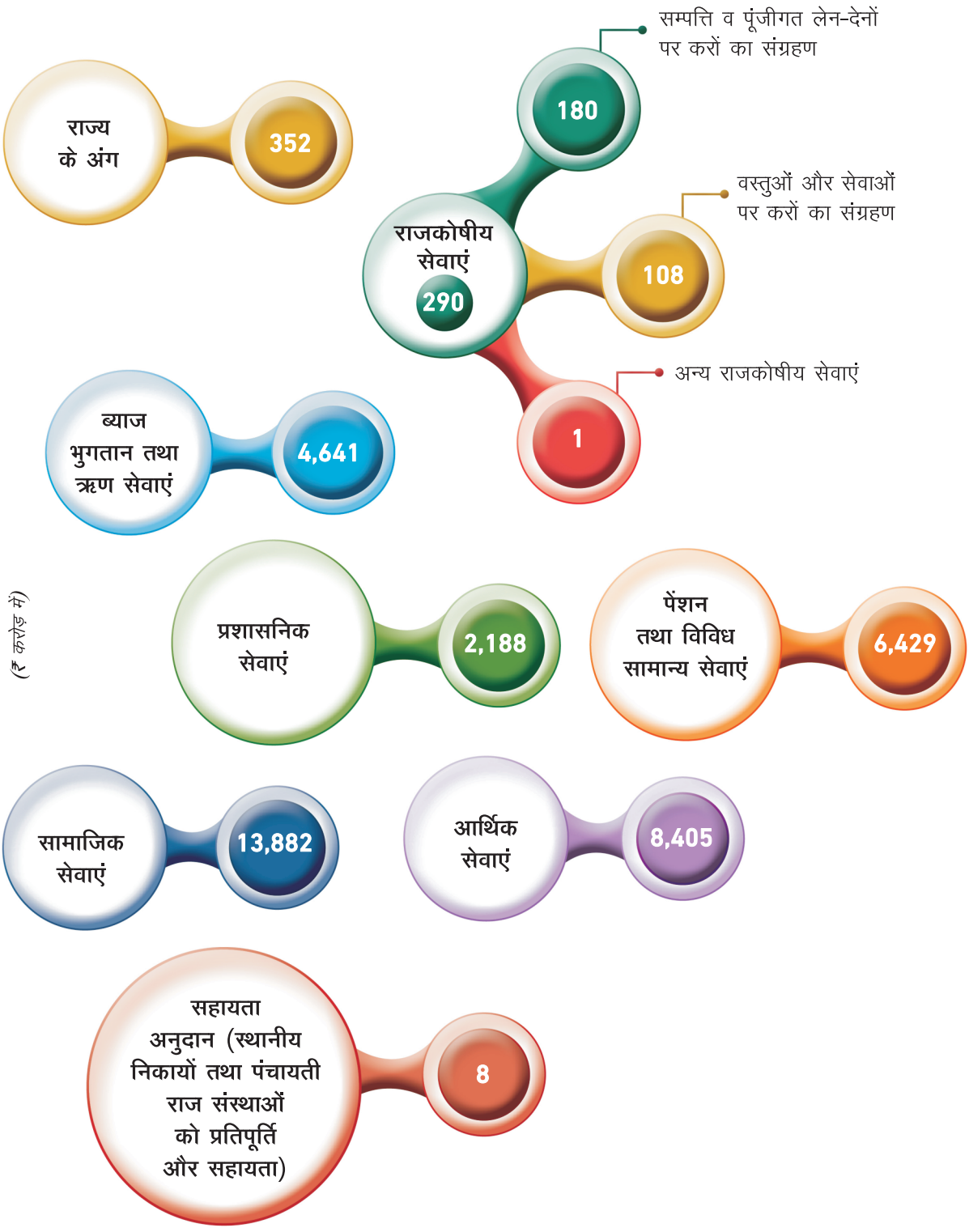
(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल राजस्व व्यय	27,053	29,442	30,730	33,535	36,195
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	20,170	21,490	22,534	23,705	24,419
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिात	*75*	*73*	*73*	*71*	*67*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	6,883	7,952	8,196	9,830	11,774

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान, पैंशन तथा उपदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिवद्ध राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 6,883 करोड़ से 71 *प्रतिशत* बढकर 2021-22 में ₹ 11,774 करोड़ हो गया है। कुल राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ से 34 *प्रतिशत* बढकर 2021-22 में ₹ 36,195 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 21 *प्रतिशत* का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2021-22)

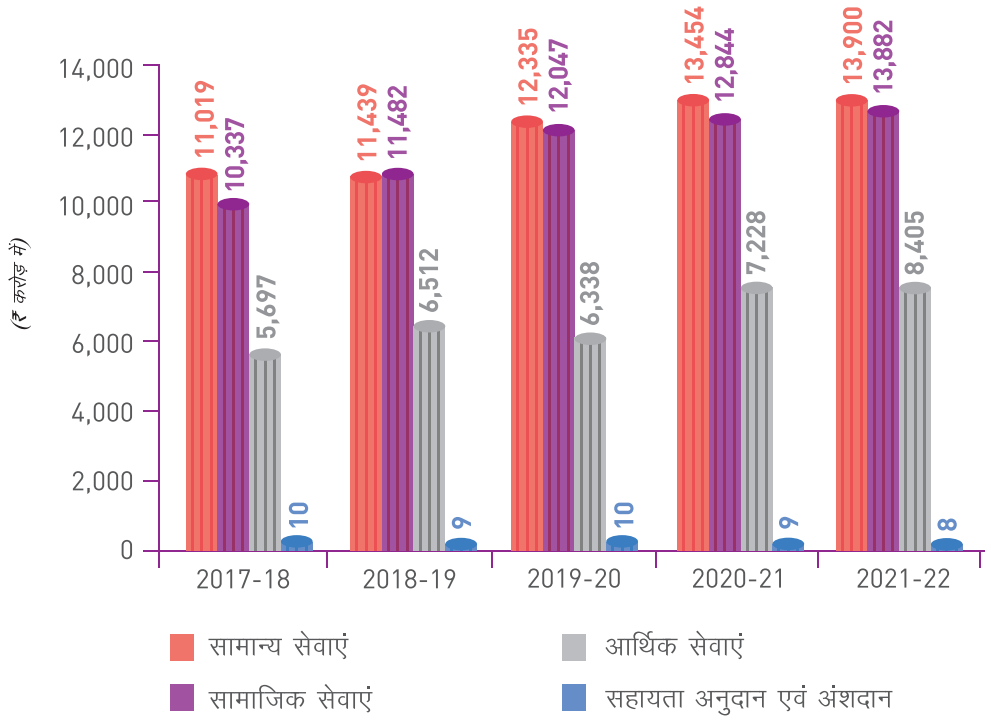


3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2017-18 से 2021-22

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	11,019	11,439	12,335	13,454	13,900
सामाजिक सेवाएं	10,337	11,482	12,047	12,844	13,882
आर्थिक सेवाएं	5,697	6,512	6,338	7,228	8,405
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10	9	10	9	8

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान



3.3 पूंजीगत व्यय

विकास की प्रकिया को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है । वर्ष 2020-21 में ₹ 5309 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी.एस.डी.पी. के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹ 383 करोड़ से कम थे (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 295 करोड़ तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹ 88 करोड़) । नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	बजट प्राक्कलन	3,475	4,240	5,943	5,692	7,099
2	वास्तविक व्यय (#)	3,756	4,583	5,174	5,309	6,029
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	108	108	87	93	85
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी की प्रतिशतता	7	22	13	3	14
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,35,914	1,51,835	1,65,472	1,56,522	1,75,173
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी/कमी की प्रतिशतता	(+)9	(+)12	(+) 9	(-)5	(+)12

(#) पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2021-22 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 210 करोड़ का व्यय किया गया (₹ 19 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई पर ₹ 190 करोड़)। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 2,163 करोड़ का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 195 करोड़, सरकारी तथा अन्य कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 157 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी समितियों व बैंकों के द्वारा ₹ 2 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

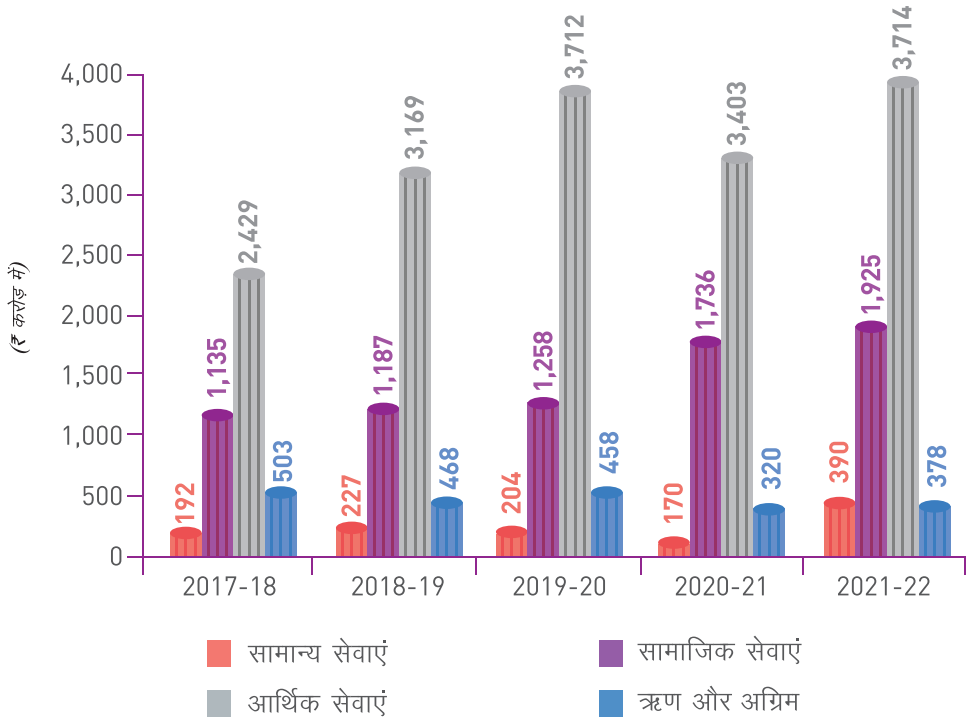
विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	192 (5)	227 (4)	204 (4)	170 (3)	390 (6)
सामाजिक सेवाएं	1,135 (27)	1,187 (24)	1,258 (22)	1,736 (31)	1,925 (30)
आर्थिक सेवाएं	2,429 (57)	3,169 (63)	3,712 (66)	3,403 (60)	3,714 (58)
ऋण और अग्रिम	503 (12)	468 (9)	458 (8)	320 (6)	378 (6)

टिप्पणी : कोष्ठको में आंकडे कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय के क्षेत्रवार विवरण का रूझान



3.3.3 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	192	227	204	170	390
		राजस्व	11,019	11,439	12,335	13,454	13,900
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,135	1,187	1,258	1,736	1,925
		राजस्व	10,337	11,482	12,047	12,844	13,882
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	2,429	3,169	3,712	3,403	3,714
		राजस्व	5,697	6,512	6,338	7,228	8,405
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	*	*	*	*	*
		राजस्व	10	9	10	9	8

* लागू नहीं

अध्याय IV

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं ऋण अग्रिम के अंतर्गत बजट आवंटन तथा उसके सम्मुख वास्तविक व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	33,394	1,093	3,176	31,311	31,478	(+)167
	प्रभारित	*5,097*	*8*	*214*	*4,891*	*4,717*	*(-)174*
2.	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	6,013	1,092	922	6,183	6,024	(-)159
	प्रभारित	...	*6*	...	*6*	*6*	...
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	5,333	...	946	4,387	4,387	...
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	354	5	45	314	378	(+)64
	प्रभारित	...	...	...	...	...	...
	योग (दत्तमत)	**39,761**	**2,190**	**4,143**	**37,808**	**37,880**	**(+)72**
	प्रभारित	***10,430***	***14***	***1,160***	***9,284***	***9,110***	***(-)174***

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान

निम्न तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व, पूंजी, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम में बचत/आधिक्य की प्रवृति को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2017-18	(+)204	(-)100	...	(+)10	**(+)114**
2018-19	(+)252	(+)4	(+)51	(+)58	**(+)365**
2019-20	(-)703	(-)39	...	(+)45	**(-)697**
2020-21	(-)2,528	(-)386	(-)256	(-)41	**(-)3,210**
2021-22	(-)7	(-)159	...	(+)64	**(-)102**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान बचत की समग्र अनुदान-वार स्थिति इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	विधान सभा	3	3	1	6	4
2	राज्यपाल/मंत्री परिषद	--	3	5	4	2
3	न्याय प्रशासन	12	33	54	55	29
4	सामान्य प्रशासन	14	21	78	45	32
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	--	659	116	-
6	आबकारी एवं कराधान	7	14	14	2	12
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	82	147	233	336	245
8	शिक्षा	665	981	1,141	1,362	1,096
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	216	340	403	498	244
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	42	283	1,018	906	1,240
11	कृषि	11	75	42	89	49
12	उद्यान	103	19	80	18	13
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	119	152	180	162	154
14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य	45	74	75	80	36
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	30	32	138	240	71
16	वन और वन्य जीवन	88	131	152	174	136
17	निर्वाचन	--	--	11	6	-
18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	11	119	120	49	19
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	60	32	114	70	50
20	ग्रामीण विकास	403	390	357	163	134
21	सहकारिता	3	4	4	3	2
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	55	--	5	30	4
23	विद्युत विकास	383	185	286	7	-
24	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	--	--	2	3	2
25	सड़क एवं जल परिवहन	2	2	31	6	6
26	पर्यटन एवं नागर विमानन	--	--	85	947	545
27	श्रम, रोजगार एवं प्रक्षिण	206	40	40	123	26
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	25	119	93	101	105
29	वित्त	304	1,185	1,535	1,925	2,037
30	विभिन्न सामान्य सेवाएं	8	13	18	10	6
31	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	301	408	466	491	534
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	236	545	745	414	532

वित्त, लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन, शिक्षा, पर्यटन एवं नागर विमानन, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना से संबधित अनुदान के अधीन निरन्तर और व्यापक बचत हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि इन अनुदानों के अधीन विद्यायिका द्वारा अनुमोदित कुछ स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है। यह बजट-प्राकलन में अनुमान से अधिक या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतू सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

2021-22 के दौरान अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹ 2,230 करोड़ (₹ 50,129 करोड़ कुल व्यय का 4 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हुई। निम्नलिखित प्रकरणों में अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
08	4202-शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01-*सामान्य शिक्षा*- 203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 10-भवन	पूंजीगत	42	66	125
09	2211परिवार कल्याण- 200-अन्य सेवाएं और आपूर्ति 12-भारत कोविड 19-आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थय व्यवस्था तत्परता पैकेज	राजस्व	0	79	171
18	4851-ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय 01-औधोगिक भवनों का निर्माण	पूंजीगत	30	4	109
23	2801-विद्युत- 80-*सामान्य*- 800-अन्य व्यय 07-रेणुका जी बांध विस्थापितों को मुआवजा	राजस्व	0	11	1,049

4.4 बजट प्रावधान के साथ पुनर्विनियोजन

31 मार्च 2022 को तीन अनुदानों, अनुदान संख्या 08,09 और 32 में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 6 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। निधियों को वास्तविक/पूरक बजट अनुमानों के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। बिना प्रावधानों के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.50 में शामिल प्रावधानों का उल्लंघन था।

मामलों को निम्न तालिका में दिखाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
08	2202-सामान्य शिक्षा- 80-सामान्य- 107-छात्रवृतियां 09-ओ.बी.सी.के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना	राजस्व	0	0	4	4
09	2211-परिवार कल्याण- 200-अन्य सेवाएं और आपूर्ति 12-भारत कोविड 19-आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थय व्यवस्था तत्परता पैकेज	राजस्व	0	0	2	2
32	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04-मेडिकल कालेज नाहन	पूंजीगत	0	0	0.22	0.22

पर्याप्त बजट प्रावधान वाले कुछ उदाहरण जहां संपर्ण बजट प्रावधान या तो वापस कर दिए गए थे या फिर से विनियोजित किए गए थे निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	वास्तविक व्यय
29	2049-ब्याज भुगतान- 01-आन्तरिक कर्जों पर ब्याज- 101-बाजार कर्जों पर ब्याज 89-प्रतिशत राज्य विकास ऋण (नए ऋण)	राजस्व	120	0	120	0
31	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03-बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास निधि	राजस्व	14	0	14	0
32	5053-नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02-विमानपत्तन- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02-एयरपोर्टस/हेलीपोर्टस विकास	पूंजीगत	279	0	279	0

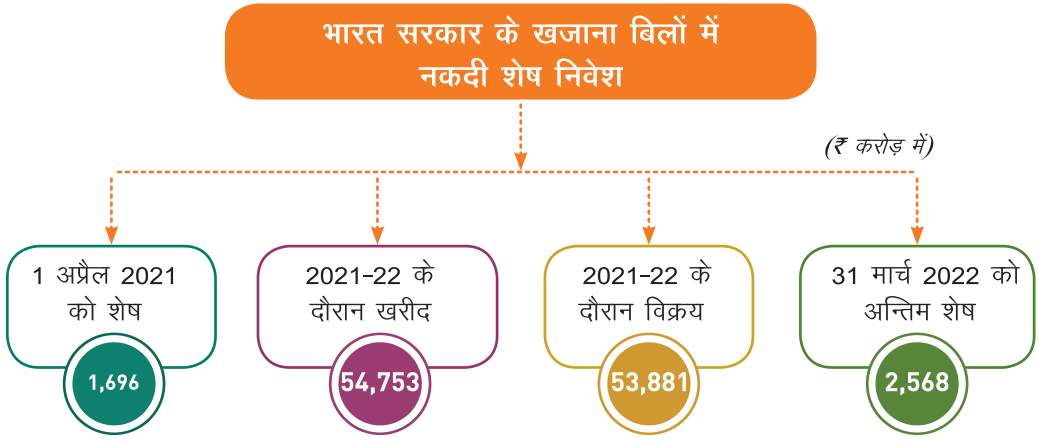
अध्याय V

परिसम्पतियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अधिग्रहण खरीद के वर्ष के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसा कि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश वर्ष 2021-22 के अन्त में ₹ 4,913 करोड़ था। जबकि, वर्ष के दौरान कुल निवेश (₹ 4,913 करोड़) पर लाभाँश ₹ 165 करोड़ (3 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 के अन्त तक, निवेश में ₹ 351 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभाँश आय में ₹ 79 करोड़ की कमी हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2021 को ₹ 60 करोड़ था, जो मार्च 2022 के अन्त तक घटकर ₹ (-)45 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में सरकार ने 126 तात्कालिक अवसरों पर ₹ 52,275 करोड़ 14 दिनों के खजाना बिलों तथा ₹ 2,478 करोड़ 1 अवसरों पर 91 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा 219 अवसरों पर ₹ 50,610 करोड़ 14 दिनों के खजाना बिलों में पुनः बटटा किया तथा ₹ 3,272 करोड़ 91 दिनों के खजाना बिलों का एक अवसर पर पुनः बटटा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।



5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है, कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2021-22 के लिए सीमा ₹ 9,384 करोड़ थी। इसके सम्मुख, वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 4,000 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

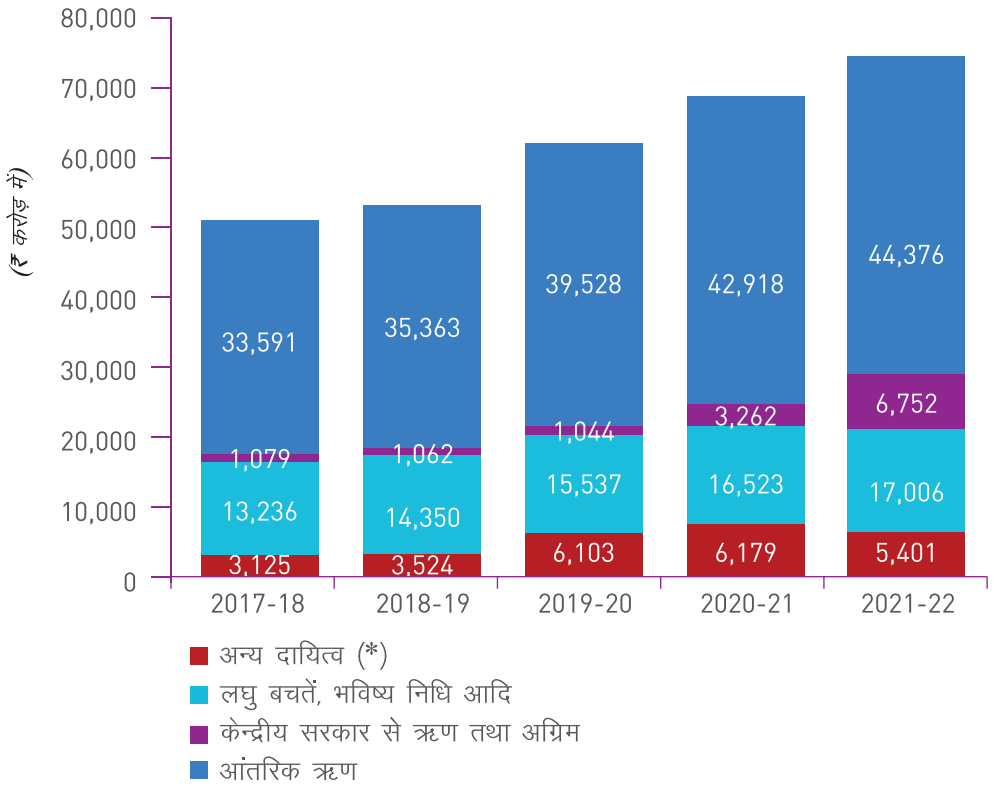
(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	लोक लेखा*	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*	कुल दायित्व	*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत*
2017-18	34,671	26	16,360	12	51,031	38
2018-19	36,425	24	17,874	12	54299	36
2019-20	40,572	25	21,640	13	62,212	38
2020-21	46,180	28	22,702	15	68,882	43
2021-22	51,127**	27**	22,407	13	73,535**	40**

() उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।*
टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।
*** इस ऋण में ₹ 4,412 करोड़ शामिल है, जिसे जी0एस0टी0 मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था, हालांकि भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार कुल देनदारियों के लिए सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत की गणना करने के लिए ₹ 4,412 करोड़ की इस राशि को नजर अंदाज कर दिया गया है*

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष से ₹ 4,653 करोड़ (7 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी दायित्वों का रूझान



() स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज तथा ब्याज रहित बाध्यताएं।*

5.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2017-18	8,848	4,394*	#
2018-19	5,181	4,309*	#
2019-20	640	1,947*	#
2020-21	2,299	2,142*	#
2021-22	2,035	1,885*	#

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आहरित है

सरकार ने मूलधन व ब्याज की जानकारी अलग से नहीं दी

अध्याय VI

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं। 31 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

2021-22 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 8,025 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹ 378 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2022 के अन्त में ₹ 97 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। 2021-22 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹ 41 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹ 6 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

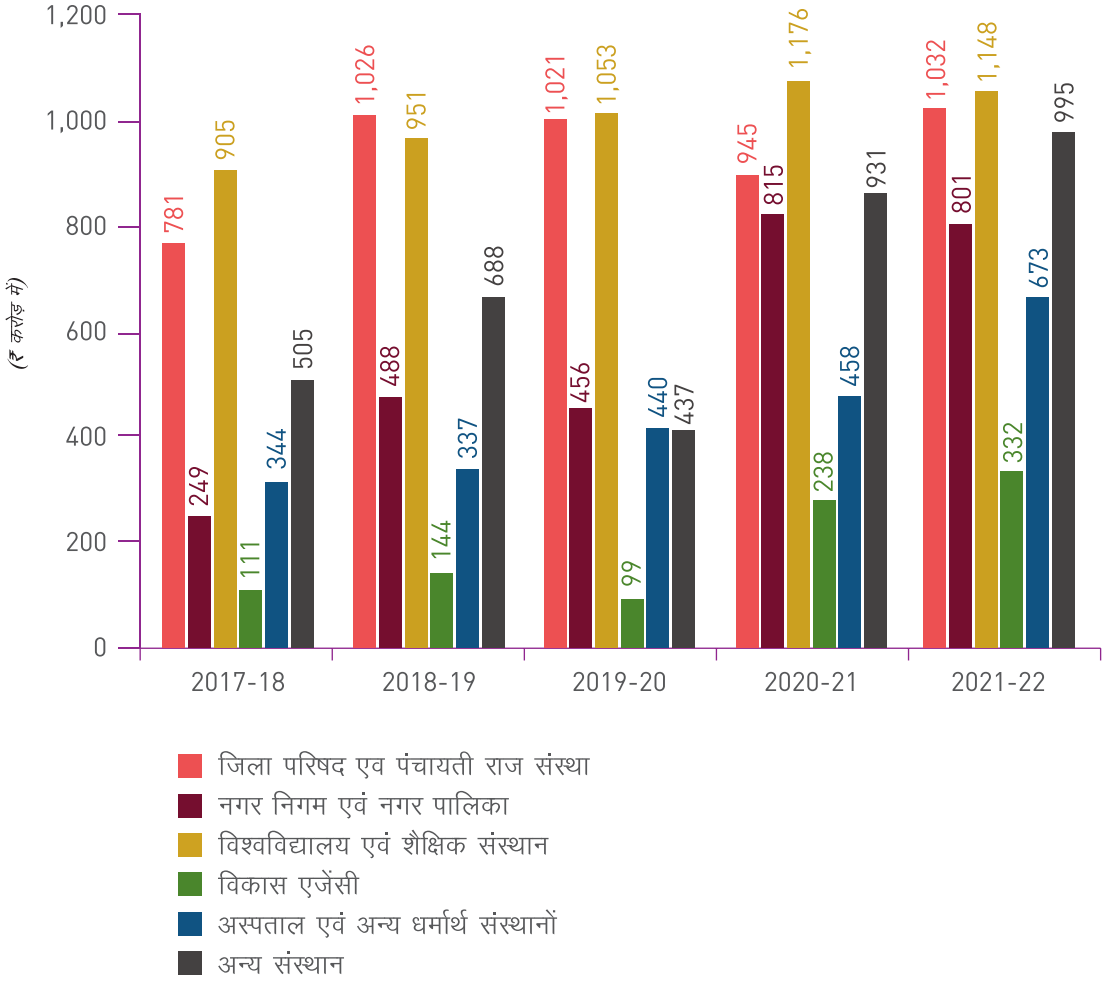
6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2017-18 में ₹ 8,895 करोड़ से बढकर 2021-22 में ₹ 4,981 करोड़ हो गया। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 1,832 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 37 *प्रतिशत* है।

बिगत पांच वर्षों के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थानों के नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्थान	781	1,026	1,021	945	1,032
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	249	488	456	815	801
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	905	951	1,053	1,176	1,148
4	विकास एजेंसी	111	144	99	238	332
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	344	337	440	458	673
6	अन्य संस्थान	505	688	437	931	995
	जोड़	2,895	3,634	3,506	4,563	4,981



बिगत पांच वर्षों में पुंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंबटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्था का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	जिला परिषद	15	29	27	66	32
2	पचांयत समिति	11	24	9	66	40
3	ग्राम पंचायत	321	370	501	332	170
4	नगर निगम	43	72	41	220	228
5	नगर पालिका	28	72	67	160	139
6	शैक्षिक संस्थान	--	--	20	1	--
7	विकास एजेंसी	38	41	41	47	29
8	संविधिक निगम	10	12	12	7	--
9	सहकारी संस्थान	1	1	1	1	2
10	सामाजिक कल्याण	--	--	--	25	43
11	विश्वविद्यालय	--	--	--	1	10
12	अन्य	206	213	126	114	140
	कुल जोड़	**673**	**834**	**845**	**1040**	**833**

6.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2021 की स्थिति	31 मार्च 2022 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(+)60	(-)45	(-)105
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	(+)1,696	(+)2,568	(+)872
चिन्हित निधि शेष से निवेश	...	...	...
(क) निक्षेप निधि	...	...	...
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	...	...	...
(ग) अन्य निधियां	...	...	...
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	32	56	(+)24

राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2022 के अन्त में ₹ (-)45 करोड़ का रोकड़ शेष था। रोकड़ शेष राशि के निवेश पर ब्याज प्राप्ति 74 *प्रतिशत* बढकर 2020-21 में ₹ 32 करोड़ से 2021-22 में ₹ 56 करोड़ हो गई।

6.5 लेखों का मिलान

सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा बद्ध आंकड़ों के साथ सभी नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। वर्ष के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹ 37,316 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय ₹ 42,224 करोड़ (कुल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया था।

6.6 उचन्त शेषों एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे, उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। इन शीर्षों के अन्तर्गत, लम्बित शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पृथक लम्बित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए निकाला जाता है। पिछले पांच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा तथा 8782-प्रेषण के अन्तर्गत उचन्त मदों का सकल नामे एवं जमा के रूप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(क) 8658-उचन्त लेखा										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	86	37	96	35	125	57	139	67	148	101
निवल	49 नामे		61 नामे		68 नामे		72 नामे		47 नामे	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	171	164	150	132	1,551	164	1,854	223	761	266
निवल	7 नामे		18 नामे		1,387 नामे		1,631 नामे		495 नामे	
107-नकद परिशोधन उचन्त लेखा	0	43	5	43	0.40	0.38	0	0	0	0
निवल	43 जमा		37 जमा		0.02 नामे		शून्य		शून्य	
109-रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	69	(-)10	111	62	(-)0.04	0	0.42	0.37	0.05	0
निवल	79 नामे		49 नामे		0.04 जमा		0.05		0.05 नामे	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	0	0	1	0	3,755	3,755	2	2	27	0
निवल	शून्य		1 नामे		शून्य		शून्य		27 नामे	
111-विभागीय समायोजन खाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0
निवल	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		0.10 नामे	

112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	400	454	484	497	448	468	471	498	527	568
निवल	54 जमा		13 जमा		20 जमा		27 जमा		41 जमा	
117-रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	9	0	9	0	0.09	0.01	0	0	0	0
निवल	9 नामे		9 नामे		0.08 नामे		शून्य		शून्य	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	40	5	52	5	0.60	0.04	0.73	0.04	0.81	0.03
निवल	35 नामे		47 नामे		0.56 नामे		0.69 नामे		0.78 नामे	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	271	348	164	306	140	224	82	219	58	293
निवल	77 जमा		142 जमा		104 जमा		137 जमा		235 जमा	
(ख) 8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन										
101-कोषागारों और करेंसी चैस्ट के मध्य नगद प्रेषण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
निवल	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		1 जमा	
102-लोक निर्माण प्रेषण	6,668	7,037	7,185	7,661	7,508	8,105	6,841	7,372	6,467	7,104
निवल	368 जमा		475 जमा		597 जमा		531 जमा		637 जमा	
103-वन प्रेषण	120	151	152	187	125	142	0	17	0	17
निवल	31 जमा		36 जमा		17 जमा		17 जमा		17 जमा	

6.7 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) अनुदानग्राही द्वारा इसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में यू.सी. जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के एम.एस.ओ. (लेखा व हकदारी) खण्ड-I में निहित प्रावधानों और अनुदानों के स्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्राधिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर जोर दिया जाता है।

यू.सी. जमा न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 3,369 करोड़ के 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके थे। 31 मार्च 2022 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष *	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020-21 तक	1,796	2,359
2021-22	1,823	2,393
कुल	**3,619**	**4,752**

** वर्णित वर्ष, ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।*
वर्ष वर्ष के दौरान ₹ 4,981 करोड़ की राशि के लिए 17,267 यू.सी. जोड़े गए।

प्रमुख दोषी विभाग जिन्होंने यूसी जमा नहीं किया था वह है पंचायती राज विभाग (₹ 1,580 करोड़, 33 *प्रतिशत*), शहरी विकास विभाग (₹ 1,134 करोड़, 24 *प्रतिशत*), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 517 करोड़, 11 *प्रतिशत*), आयुष विभाग (₹ 638 करोड़, 13 *प्रतिशत*), शिक्षा विभाग (₹ 216 करोड़, 5 *प्रतिशत*)।

6.8 राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली

वर्ष 2021-22 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल अंशदान जोकि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ₹ 1,133 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 474 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 659 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है। मुख्य शीर्ष 8342-117 (₹ 659 करोड़) के तहत दिखाई गई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का योगदान प्रमुख शीर्ष 2071-01-117 (₹ 649 करोड़) के तहत दिखाई गई राशि से भिन्न है, जो उन अभिदाताओं के संबंध में सरकार द्वारा नियोक्ता के हिस्से को सीधे जमा करने के कारण है जो पहले गलती से जी.पी.एफ. योजना में थे और अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के तहत नामांकित हैं। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखे में ₹ 1,113 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 474 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 659 करोड़) हस्तांतरित किया। एन.पी.एस. में सरकार का अंशदान ₹ 5 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

6.9 व्यक्तिगत जमा खाते

पी.डी. लेखे नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उददेश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

2021-22 के दौरान इन पी.डी खातों में ₹ 0.59 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। इसमें मार्च 2022 में हस्तांतरित ₹ 0.08 करोड़ शामिल हैं, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ मार्च 2022 के अंतिम कार्य दिवस पर स्थानांतरित किए गए थे।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों के 55 प्रशासकों (106 में से) ने कोषागार के आंकड़ो के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया था और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को आगे जमा करने के लिए कोषाधिकारी को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत जमा खातों के 51 प्रशासको ने कोषागार के आंकड़ों के साथ उनके शेष का मिलान और सत्यापन नहीं किया।

पी.डी. खातों का 31 मार्च 2022 को विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को अथ शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2022 को अंतिम शेष राशि	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
112	2.18	02	0.22*	08	0.66	106	1.74

** इसमें ₹ 0.37 करोड़ की व्यपगत जमा राशि शामिल है।*

6.10 रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

31 मार्च 2022 को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार नकद शेष राशि ₹ 45 करोड़ (जमा) थी और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई राशि ₹ 56 करोड़ (नामे) थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग के कारण ₹ 10 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था। अंतर समाधान के तहत है। प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्ष के 31 मार्च को नकद शेष राशि ₹ 60 करोड़ (नामे) थी और आर.बी.आई. द्वारा रिपोर्ट की गई यह राशि ₹ 61 करोड़ (जमा) थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग और गैर-समाधान के कारण ₹ 1 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था।

6.11 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में फंड में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 327.20 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के हिस्से ₹ 36.00 करोड़ को प्रेषित करने की आवश्यकता थी जबकि वास्तव में हस्तांतरित हिस्सा ₹ 35.80 करोड़ है, जो ₹ 0.20 करोड़ से कम है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ के तहत निधि में ₹ 363.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 327.20 करोड़, राज्य अंश ₹ 35.80 करोड़) हस्तांतरित किए। केंद्र सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए कोई राशि नहीं मिली।

6.12 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

राज्य सरकार को वर्ष 2021-22, व 2020-21 के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से 2021-22 और 2020-21 के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने तदर्थ कैम्पा के पास पड़ी ₹ 2 करोड़ की अव्ययित धनराशि के साथ "एस.सी.ए.एफ" के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि पर मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत ₹ 52 करोड़ का कुल ब्याज जमा किया। वर्ष के दौरान (मुख्य शीर्ष 2406-04-904) के तहत "एस.सी.ए.एफ" से ₹ 95 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया। 31 मार्च 2022 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष में कुल शेष राशि ₹ 1,608 करोड़ थी।

6.13 राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:**

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने प्रमुख् शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 39 करोड़ लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग से (2020-21: ₹ 36 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 42 करोड़ (2020-21: ₹ 33 करोड़) हस्तांतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 को प्रमुख शीर्ष 8443 से अहस्तांतरित राशि ₹ 25 करोड़ थी (31 मार्च 2021 को ₹ 28 करोड़)।

(ख) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रह के रूप में ₹ 86 करोड़ (2020-21: ₹ 68 करोड़) एकत्र किए। नामित निधि में कोई निधि अंतरित नहीं की गई क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे में सृजित नहीं किया गया है।

6.14 आपत्ति पुस्तिका में उचंत लेखे के तहत दर्ज लेनदेन और डी.डी.ओ. के बैंक खातों में निधियों का अन्तरण

2021-22 के दौरान, उप-वाउचर, स्वीकृति आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 79 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 74 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 4 करोड़), की राशि को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में उचंत खाते में रखा गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में उक्त राशि को राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विनियोग लेखों में वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया है ।

इसके अलावा, पिछले वर्षों के आपत्ति पुस्तिका में उचंत की ₹ 1,191 करोड़ की राशि (2019-20 के ₹ 1,184 करोड़ और 2020-21 के ₹ 7 करोड़) को 2021-22 के दौरान समाप्त कर दिया गया है और संबंधित व्यय लेखा शीर्ष (राजस्व व्यय ₹ 1,057 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 133 करोड़), के तहत दर्ज किया गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय और विनियोग लेखों में वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, मार्च 2022 के महीने में लेनदेन की जांच से पता चला कि ₹ 143 करोड़ की राशि कोषागार से आहरित की गई थी और शुरू में डी.डी.ओ. के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी, जो हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183(v) और 184(1) का उल्लंघन था।

6.15 एकल नोडल एजेंसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन राज्य सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है और इसके 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस.एन.ए. के लेखे में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने सी.एस.एस निधियों को एस.एन.ए लेखों में स्थानांतरित कर दिया है। 31 मार्च 2022 तक, 69 योजनाओं के एस.एन.ए. लेखों में केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से सहित ₹ 1,063 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2022
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi